SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-02| December- 2025
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i2.44

भारत में महिला श्रमबल सहभागिता की बदलती प्रवृत्तियाँ : आर्थिक विकास और लैंगिक असमानता के संदर्भ में अध्ययन

डॉ. रमेश कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),
रामबचन सिंह राजकीय महिला महाविद्यालय बगली पिजड़ा मऊ।

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की श्रमबल सहभागिता सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्पादकता और समावेशी विकास का महत्त्वपूर्ण संकेतक है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 2017–18 से 2023–24 के दौरान महिला श्रमबल सहभागिता में हुए परिवर्तनों, ग्रामीण–शहरी विषमताओं, महिला–पुरुष अंतर तथा रोजगार की गुणवत्ता से संबंधित प्रश्नों का विश्लेषण करना है। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 तथा 2024 तक प्रकाशित सरकारी दस्तावेजों का उपयोग करता है। सामान्य स्थिति (मुख्य एवं सहायक गतिविधि) में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की सहभागिता दर 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हुई; तथापि 2023–24 में पुरुष दर 78.8 प्रतिशत थी। ग्रामीण महिलाओं की दर 47.6 प्रतिशत और शहरी महिलाओं की 28.0 प्रतिशत दर्ज हुई। अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्ष है कि सहभागिता में वृद्धि को स्वतः गुणवत्तापूर्ण, नियमित या पर्याप्त आय वाले रोजगार की वृद्धि नहीं माना जा सकता। अवैतनिक देखभाल, कार्यस्थल सुरक्षा, कौशल एवं रोजगार संरचना के प्रश्न नीतिगत प्राथमिकता बने रहने चाहिए।

मुख्य शब्द : महिला श्रमबल सहभागिता, लैंगिक असमानता, आर्थिक विकास, ग्रामीण रोजगार, अवैतनिक कार्य, PLFS।

1. प्रस्तावना

भारत में आर्थिक विकास का आकलन केवल सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से नहीं किया जा सकता। विकास की वास्तविक गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न वर्गों को उत्पादन, आय अर्जन और निर्णय प्रक्रिया में किस सीमा तक भागीदारी प्राप्त होती है। महिलाओं का श्रम बाजार से जुड़ना इसी समावेशी विकास का प्रमुख पक्ष है। आर्थिक दृष्टि से महिला श्रमबल की उपलब्धता उत्पादन क्षमता का विस्तार कर सकती है, जबकि सामाजिक दृष्टि से अर्जित आय परिवार के भीतर सौदेबाजी की स्थिति, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। इन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धि में बदलने के लिए रोजगार का स्वरूप और कार्य की परिस्थितियाँ निर्णायक हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं का कार्य प्रायः दो परस्पर जुड़े क्षेत्रों में विभाजित होता है—बाजार में प्रत्यक्ष या परोक्ष आय देने वाला कार्य और परिवार के निर्वाह के लिए किया जाने वाला अवैतनिक घरेलू तथा देखभाल संबंधी कार्य। परंपरागत श्रम बाजार सूचकांक मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को

मापते हैं। इस कारण महिलाओं की कुल कार्य-व्यस्तता और आधिकारिक श्रमबल सहभागिता के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर बना रह सकता है। घरेलू श्रम की सामाजिक उपयोगिता स्पष्ट होने पर भी उसका बड़ा हिस्सा वेतन के रूप में दर्ज नहीं होता।

हाल के वर्षों में शिक्षा, डिजिटल भुगतान, स्व-सहायता समूहों, ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों और रोजगार संबंधी आकांक्षाओं ने महिलाओं के आर्थिक अवसरों के विमर्श को व्यापक बनाया है। दूसरी ओर सामाजिक मान्यताएँ, परिवहन, देखभाल सेवाओं का अभाव, रोजगार की अनिश्चितता और सुरक्षित कार्यस्थल की कमी महिलाओं की संभावित सहभागिता सीमित करती हैं। अतः बढ़ती सहभागिता के आँकड़ों को उत्साहजनक मानते हुए भी उनके भीतर छिपे संरचनात्मक अंतर को समझना आवश्यक है।

इस शोधपत्र में 2024 तक उपलब्ध वार्षिक PLFS शृंखला का उपयोग किया गया है। 2023–24 के सर्वेक्षण वर्ष का अर्थ जुलाई 2023 से जून 2024 है। विश्लेषण का प्रयास अलग-अलग सूचकों को मिलाकर भ्रामक निष्कर्ष निकालने के बजाय समान आयु समूह, समान संदर्भ अवधि और समान गतिविधि-स्थिति की तुलना करना है। इसी पद्धतिगत सावधानी से परिणामों की व्याख्या अधिक विश्वसनीय बनती है।

2. समस्या का प्रतिपादन एवं अध्ययन का औचित्य

भारत में महिला श्रमबल सहभागिता के संदर्भ में एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर आधिकारिक सर्वेक्षणों में हालिया वृद्धि दर्ज हुई है, दूसरी ओर महिला–पुरुष अंतर और ग्रामीण–शहरी भिन्नता अभी भी पर्याप्त है। केवल एक राष्ट्रीय औसत यह नहीं बता सकता कि महिलाएँ किस प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं, उनकी आय कितनी नियमित है, वे कितनी स्वतंत्रता से रोजगार चुनती हैं अथवा उनके अवैतनिक श्रम का भार किस प्रकार बदल रहा है। इसलिए समस्या का विश्लेषण मात्र सहभागिता दर तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा।

श्रमबल सहभागिता में वृद्धि कभी अवसरों के विस्तार, कभी घरेलू आर्थिक दबाव, कभी कृषि में पारिवारिक सहयोग और कभी सर्वेक्षण में सहायक आर्थिक गतिविधियों की पहचान से संबंधित हो सकती है। इन संभावित व्याख्याओं के बीच भेद करने के लिए कार्य की स्थिति, क्षेत्रीय संरचना, वेतन और समय उपयोग जैसे अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक हैं। उपलब्ध समेकित आँकड़े सभी कारणों की प्रत्यक्ष पहचान नहीं करते; इसलिए प्रस्तुत शोध कारणात्मक दावों के स्थान पर सावधान वर्णनात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

अध्ययन का औचित्य आर्थिक नीति से भी जुड़ा है। यदि बढ़ती महिला भागीदारी को रोजगार की गुणवत्ता के बिना सफलता मान लिया जाए तो सामाजिक सुरक्षा, वेतन समानता, कौशल प्रशिक्षण और देखभाल अवसंरचना जैसे मुद्दे उपेक्षित रह सकते हैं। इसके विपरीत श्रमबल सहभागिता को व्यापक लैंगिक समानता के ढाँचे में रखकर पढ़ने से अधिक संतुलित नीतिगत हस्तक्षेप विकसित किए जा सकते हैं।

3. अध्ययन के उद्देश्य एवं शोध प्रश्न

इस अध्ययन का प्रथम उद्देश्य 2017–18 से 2023–24 तक भारत में महिला श्रमबल सहभागिता की दिशा और परिमाण का परीक्षण करना है। दूसरा उद्देश्य इसी अवधि में महिला–पुरुष अंतर तथा ग्रामीण–शहरी विषमता का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। तीसरा उद्देश्य महिला श्रमबल सहभागिता और महिला रोजगार-जनसंख्या अनुपात के बीच संबंध को समझना है। चौथा उद्देश्य अवैतनिक घरेलू तथा देखभाल कार्य के संदर्भ में रोजगार अवसरों की सीमाओं की चर्चा करना है। पाँचवाँ उद्देश्य आर्थिक विकास और लैंगिक समानता के लिए साक्ष्य-संगत नीति सुझाव प्रस्तुत करना है।

प्रमुख शोध प्रश्न हैं : क्या महिला श्रमबल सहभागिता में लगातार वृद्धि हुई है? क्या ग्रामीण और शहरी महिलाओं में समान गति से परिवर्तन हुआ है? क्या पुरुषों की तुलना में अंतर घटा है? क्या सहभागिता की वृद्धि रोजगार की गुणवत्ता का पर्याप्त प्रमाण है? और क्या अवैतनिक कार्य का असमान वितरण महिलाओं के आर्थिक अवसरों को सीमित कर सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध आँकड़ों की सीमा के भीतर खोजे गए हैं।

© Shiksha Samvad| Received: 03 December 2025 | Accepted: 10 December 2025 | Published: 15 December 2025

4. सैद्धांतिक आधार और साहित्य समीक्षा: मानव पूँजी सिद्धांत के अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में निवेश से व्यक्ति की उत्पादक क्षमता और रोजगार की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। महिलाओं के संदर्भ में यह दृष्टिकोण कौशल तथा कार्य अवसरों की उपयोगिता स्पष्ट करता है; किंतु केवल शिक्षा के विस्तार से सहभागिता बढ़ने की गारंटी नहीं मिलती। यदि स्थानीय रोजगार उपलब्ध न हों या सामाजिक प्रतिबंध बने रहें, तो उच्च शैक्षिक योग्यता के बावजूद महिलाएँ श्रम बाजार से बाहर रह सकती हैं। इसलिए मानव पूँजी की व्याख्या को संस्थागत तथा सामाजिक कारकों के साथ पढ़ना आवश्यक है।

अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण विकास को व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और विकल्पों के विस्तार के रूप में समझने में सहायक है। इस दृष्टि से महिला रोजगार का मूल्य केवल अर्जित आय नहीं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वैच्छिक आर्थिक गतिविधि चुनने की क्षमता भी है। यदि महिला आर्थिक दबाव में अत्यल्प आय वाला काम करने को विवश हो, तो केवल सहभागिता की उपस्थिति को पूर्ण सशक्तीकरण नहीं कहा जा सकता। नारीवादी अर्थशास्त्र घरेलू उत्पादन और देखभाल श्रम की उपेक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। भोजन बनाना, बच्चों तथा वृद्धजनों की देखभाल, जल और ईंधन की व्यवस्था तथा घरेलू प्रबंधन ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनसे परिवार और बाजार दोनों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। इनके असमान वितरण से महिलाओं के लिए सवेतन कार्य, प्रशिक्षण और उद्यमिता हेतु उपलब्ध समय घटता है। समय उपयोग सर्वेक्षण इस संरचनात्मक समस्या को संख्यात्मक रूप में समझने का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

श्रम आपूर्ति के आर्थिक मॉडल में मजदूरी, परिवार की आय, समय की वैकल्पिक लागत और रोजगार उपलब्धता जैसे कारक महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। भारतीय संदर्भ में परिवार की आय के साथ महिला सहभागिता का संबंध एकरेखीय नहीं माना जा सकता। कुछ परिस्थितियों में आय बढ़ने पर महिलाओं की निम्न-आय गतिविधियों में सहभागिता घट सकती है; अन्य परिस्थितियों में शिक्षा और सेवा क्षेत्र के अवसर बढ़ने से सहभागिता बढ़ सकती है। इस जटिलता के कारण केवल राष्ट्रीय समय-शृंखला से एक निश्चित कारण स्थापित करना उचित नहीं है।

आधिकारिक PLFS 2023–24 और महिला एवं पुरुष भारत 2024 जैसे दस्तावेज़ लिंग तथा निवास-क्षेत्र के आधार पर सहभागिता में अंतर दर्शाते हैं। समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 घरेलू कार्य के असमान समय-वितरण को उजागर करता है। इन स्रोतों को संयुक्त रूप से देखने से श्रम बाजार की मापी गई गतिविधि और घरेलू स्तर पर किए जाने वाले आवश्यक किंतु अवैतनिक कार्य के बीच विश्लेषणात्मक संबंध स्पष्ट होता है।

5. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें किसी प्राथमिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार अथवा प्रयोग का दावा नहीं किया गया है। अध्ययन के लिए भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, 2023–24 की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, 2024 में प्रकाशित महिला एवं पुरुष भारत तथा 2019 के समय उपयोग सर्वेक्षण से प्रकाशित संख्यात्मक जानकारी ग्रहण की गई है। स्रोतों की समय-सीमा 31 दिसंबर 2024 तक रखी गई है।

मुख्य विश्लेषण इकाई 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या है। श्रमबल सहभागिता दर (LFPR) में नियोजित और रोजगार खोजने अथवा काम के लिए उपलब्ध बेरोजगार दोनों सम्मिलित होते हैं। रोजगार-जनसंख्या अनुपात (WPR) संबंधित जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत बताता है। सामान्य स्थिति में मुख्य तथा सहायक आर्थिक गतिविधि दोनों को शामिल किया जाता है, जिसे आधिकारिक दस्तावेज़ों में ps+ss कहा गया है।

विश्लेषण के लिए प्रतिशत-अंक परिवर्तन, महिला–पुरुष दरों का अंतर और ग्रामीण–शहरी दरों की तुलना का उपयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, 2023–24 की महिला LFPR 41.7 प्रतिशत और 2017–18 की 23.3 प्रतिशत के बीच अंतर 18.4 प्रतिशत अंक है। यह 18.4 प्रतिशत की सापेक्ष वृद्धि

नहीं है; दोनों मापों में अंतर स्पष्ट रखना आवश्यक है। इसी प्रकार दरों की वृद्धि को नियोजित महिलाओं की कुल संख्या में समान अनुपात की वृद्धि नहीं माना जा सकता।

अध्ययन की सीमाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय समेकित आँकड़ों से प्रत्येक राज्य, जाति, आय-वर्ग या शिक्षा समूह की स्थिति स्वतः स्पष्ट नहीं होती। कार्य की अवधि, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की स्वैच्छिकता के लिए अलग सूक्ष्म आँकड़ों की आवश्यकता होती है। समय उपयोग सर्वेक्षण का 2019 संदर्भ वर्ष PLFS 2023–24 से भिन्न है; इसलिए दोनों को एक ही वर्ष का प्रत्यक्ष संयुक्त अनुमान नहीं माना गया है।

6. आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण

प्रथम तालिका महिला और पुरुष श्रमबल सहभागिता की सात वार्षिक अवधियों को एक साथ प्रस्तुत करती है। महिलाओं की दर 2017–18 में 23.3 प्रतिशत से 2018–19 में 24.5 प्रतिशत और 2019–20 में 30.0 प्रतिशत हुई। 2020–21 में यह 32.5 प्रतिशत, 2021–22 में 32.8 प्रतिशत, 2022–23 में 37.0 प्रतिशत और 2023–24 में 41.7 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे दीर्घकालीन वृद्धि स्पष्ट है, हालांकि प्रत्येक वर्ष वृद्धि की गति समान नहीं रही। इसी अवधि में पुरुषों की दर 75.8 प्रतिशत से 78.8 प्रतिशत तक पहुँची। पुरुषों की तुलना में महिला सहभागिता में अधिक प्रतिशत-अंक वृद्धि होने के कारण लिंग अंतर 2017–18 के 52.5 प्रतिशत अंक से घटकर 2023–24 में 37.1 प्रतिशत अंक रहा। यह उल्लेखनीय संकुचन है, पर 37.1 प्रतिशत अंक का शेष अंतर अभी भी व्यापक लैंगिक विषमता का संकेत है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक आँकड़े एक दूसरी महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति सामने लाते हैं। ग्रामीण महिला LFPR 24.6 प्रतिशत से बढ़कर 47.6 प्रतिशत हुई, जबकि शहरी महिला दर 20.4 प्रतिशत से बढ़कर 28.0 प्रतिशत हुई। इस प्रकार ग्रामीण वृद्धि 23.0 प्रतिशत अंक और शहरी वृद्धि 7.6 प्रतिशत अंक रही। ग्रामीण दर का अधिक होना अपने-आप में बेहतर वेतन, अधिक सुरक्षित कार्य या आर्थिक स्वायत्तता का प्रमाण नहीं है।

रोजगार-जनसंख्या अनुपात महिला सहभागिता की व्याख्या को आगे बढ़ाता है। 2017–18 में महिलाओं का WPR 22.0 प्रतिशत था, जो 2023–24 में 40.3 प्रतिशत हुआ। इसी वर्ष महिला LFPR 41.7 प्रतिशत थी। दोनों सूचकों के बीच अंतर दर्शाता है कि श्रमबल में सम्मिलित सभी व्यक्ति नियोजित नहीं होते। तथापि WPR भी कार्य की नियमितता, आय या रोजगार की सुरक्षा का पूरा माप नहीं है।

2019 के समय उपयोग सर्वेक्षण में अवैतनिक घरेलू सेवाओं में भाग लेने वाले पुरुषों ने औसतन प्रतिदिन 97 मिनट और महिलाओं ने 299 मिनट लगाए। यह प्रति प्रतिभागी औसत है, सभी व्यक्तियों का औसत नहीं। महिलाओं के लिए 202 मिनट अधिक समय का यह अंतर कार्य के लैंगिक विभाजन को दर्शाता है। अवैतनिक देखभाल सेवाओं में संबंधित प्रतिभागियों के लिए पुरुषों का समय 76 मिनट और महिलाओं का 134 मिनट दर्ज हुआ।

इन निष्कर्षों को एक साथ पढ़ने पर महिला श्रमबल की समस्या केवल रोजगार की उपलब्धता तक सीमित नहीं रह जाती। महिला किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकती है और उसी समय घरेलू तथा देखभाल दायित्व भी निभा सकती है। इस दोहरे दायित्व का प्रभाव कार्य घंटे, आवागमन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और उद्यमिता के निर्णयों पर पड़ सकता है। यद्यपि प्रस्तुत समेकित आँकड़े इस प्रभाव का कारणात्मक परिमाण नहीं बताते, वे नीति-निर्माण में समय-संबंधी बाधाओं को शामिल करने का पर्याप्त आधार देते हैं।

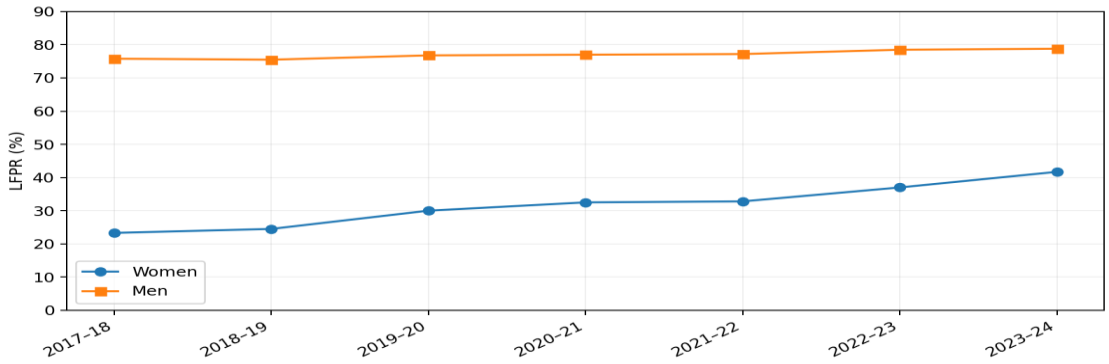
तालिका 1 : महिला–पुरुष श्रमबल सहभागिता दर (प्रतिशत)

सर्वेक्षण वर्ष	महिला	पुरुष	लैंगिक अंतर (प्रतिशत अंक)
2017–18	23.3	75.8	52.5
2018–19	24.5	75.5	51.0
2019–20	30	76.8	46.8

© Shiksha Samvad| Received: 03 December 2025 | Accepted: 10 December 2025 | Published: 15 December 2025

2020–21	32.5	77	44.5
2021–22	32.8	77.2	44.4
2022–23	37	78.5	41.5
2023–24	41.7	78.8	37.1

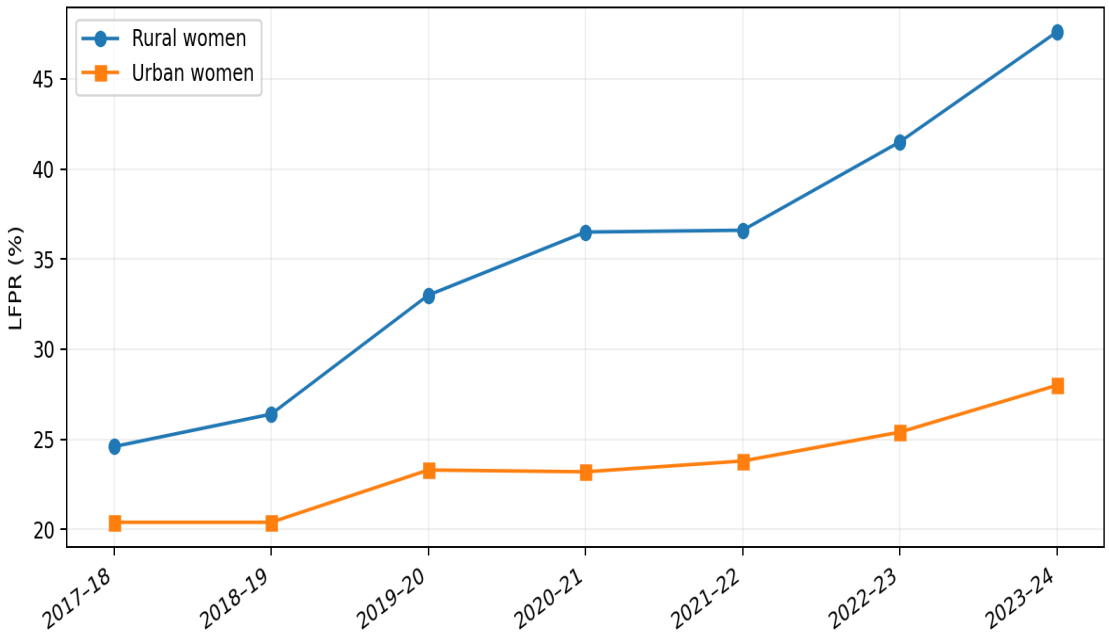
स्रोत : PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2023–24, सामान्य स्थिति (ps+ss), आयु 15 वर्ष और अधिक।



चित्र 1 : महिला और पुरुष LFPR की प्रवृत्ति (आधिकारिक आँकड़ों पर आधारित स्वनिर्मित ग्राफ)

तालिका 2 : ग्रामीण एवं शहरी महिला सहभागिता दर

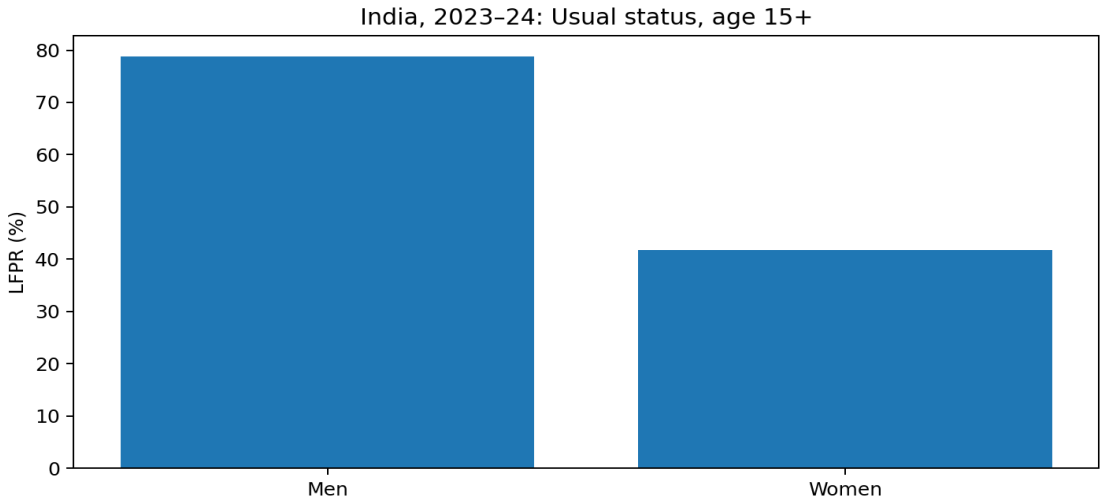
वर्ष	**ग्रामीण महिला (%)**	**शहरी महिला (%)**
2017–18	24.6	20.4
2018–19	26.4	20.4
2019–20	33	23.3
2020–21	36.5	23.2
2021–22	36.6	23.8
2022–23	41.5	25.4
2023–24	47.6	28



चित्र 2 : ग्रामीण–शहरी महिला श्रमबल सहभागिता की तुलना

तालिका 3 : महिला रोजगार-जनसंख्या अनुपात (WPR)

वर्ष	महिला WPR (%)
2017–18	22
2018–19	23.3
2019–20	28.7
2020–21	31.4
2021–22	31.7
2022–23	35.9
2023–24	40.3



चित्र 3 : वर्ष 2023–24 में महिला–पुरुष सहभागिता अंतर

तालिका 4 : अवैतनिक कार्य में प्रति प्रतिभागी औसत दैनिक समय, 2019

गतिविधि	पुरुष (मिनट)	महिला (मिनट)
अवैतनिक घरेलू सेवाएँ	97	299
अवैतनिक देखभाल सेवाएँ	76	134

स्रोत : समय उपयोग सर्वेक्षण, 2019; आयु 6 वर्ष और अधिक; प्रति गतिविधि प्रतिभागी का औसत।

विश्लेषणात्मक रूपरेखा (स्वनिर्मित)

संरचनात्मक कारक	संभावित मध्यवर्ती प्रभाव	विकास संबंधी परिणाम
शिक्षा और कौशल	रोजगार योग्यता एवं विकल्प	उत्पादक कार्य की संभावना
देखभाल सुविधाएँ	समय की उपलब्धता	श्रम बाजार तक पहुँच
सुरक्षा और परिवहन	गतिशीलता एवं नौकरी चयन	अधिक विविध रोजगार
वेतन और सामाजिक सुरक्षा	कार्य की गुणवत्ता	आर्थिक स्वायत्तता

© Shiksha Samvad| Received: 03 December 2025 | Accepted: 10 December 2025 | Published: 15 December 2025

7. आर्थिक विकास के संदर्भ में व्याख्या

महिलाओं की आर्थिक सहभागिता का विस्तार श्रम संसाधनों के अधिक उपयोग की संभावना पैदा करता है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि बड़ी संख्या में कार्य-योग्य महिलाएँ उपयुक्त अवसरों से वंचित रहती हैं, तो उपलब्ध मानव पूँजी का एक हिस्सा पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो पाता। रोजगार के नए अवसर उत्पादन, सेवाओं की उपलब्धता और परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। किंतु वास्तविक उत्पादकता लाभ कार्य के क्षेत्र, पूँजी, कौशल और संगठनात्मक संरचना पर निर्भर करता है।

ग्रामीण भारत में कृषि और उससे संबद्ध कार्य महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पारिवारिक कृषि में योगदान, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय व्यापार जैसी गतिविधियाँ आय तथा आजीविका से जुड़ी हैं। फिर भी पारिवारिक कार्य में सहभागिता और स्वतंत्र आय पर नियंत्रण एक ही बात नहीं हैं। आर्थिक विकास के व्यापक मूल्यांकन में यह जानना आवश्यक है कि महिला को भुगतान मिलता है या नहीं, निर्णय में उसकी भूमिका कितनी है और उत्पादक संपत्ति तक उसकी पहुँच किस प्रकार की है।

शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा व्यापार और घरेलू सेवाओं जैसे विविध अवसर उपस्थित होते हैं। लेकिन अवसरों की भौगोलिक निकटता, सुरक्षित परिवहन, काम के समय का लचीलापन और बच्चों की देखभाल जैसी सुविधाएँ समान रूप से उपलब्ध नहीं होतीं। इसलिए शहरी महिला सहभागिता में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि का विश्लेषण करते समय केवल कौशल की कमी को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है।

आर्थिक वृद्धि और महिला सहभागिता के बीच द्विदिश संबंध संभव है। वृद्धि नए रोजगार पैदा कर सकती है; दूसरी ओर महिलाओं का उत्पादक कार्य उत्पादन बढ़ा सकता है। तथापि इस शोध में GDP वृद्धि और LFPR के बीच प्रतिगमन या कारणात्मक परीक्षण नहीं किया गया है। अतः यह दावा नहीं किया जा रहा कि महिला LFPR की दर्ज वृद्धि से GDP में किसी निश्चित प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। शोध का योगदान प्रवृत्तियों और उनके नीतिगत अर्थ को व्यवस्थित रूप में स्पष्ट करना है।

8. लैंगिक असमानता के संरचनात्मक आयाम

लैंगिक असमानता का प्रथम आयाम अवसरों तक पहुँच है। महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा प्राप्त होने पर भी रोजगार के प्रकार, चयन प्रक्रिया, सुरक्षित आवागमन और कार्यस्थल की सुविधाओं में अंतर मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार न होने की स्थिति में महिलाएँ दूरस्थ स्थानों तक यात्रा करने से वंचित रह सकती हैं। इन बाधाओं का प्रभाव विशेष रूप से उन परिवारों पर पड़ सकता है जिनमें देखभाल की जिम्मेदारी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

दूसरा आयाम समय का असमान वितरण है। अवैतनिक घरेलू कार्य महिलाओं के दैनिक समय का बड़ा हिस्सा ग्रहण कर सकता है। यह केवल व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं, बल्कि घरेलू श्रम के सामाजिक विभाजन, सार्वजनिक सेवाओं और उपलब्ध तकनीक से भी संबंधित है। जब जल, ऊर्जा, परिवहन तथा देखभाल सेवाएँ सुलभ होती हैं, तब महिलाओं के पास शिक्षा, रोजगार और विश्राम के लिए अधिक विकल्प हो सकते हैं।

तीसरा आयाम रोजगार की गुणवत्ता है। औपचारिक नियुक्ति, नियमित भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व संरक्षण, सुरक्षित शिकायत व्यवस्था और पदोन्नति के अवसर श्रम बाजार में वास्तविक समानता के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। केवल सहभागिता की दर बढ़ने से यह सिद्ध नहीं होता कि महिलाओं की कार्यस्थितियाँ समान हुई हैं। इसीलिए भविष्य के अध्ययनों में रोजगार की स्थिति और वेतन संबंधी सूक्ष्म आँकड़ों को शामिल करना चाहिए। चौथा आयाम आर्थिक निर्णय क्षमता है। रोजगार में सम्मिलित महिला को अपनी आय, बचत, बैंक खाते और उत्पादक संपत्ति के उपयोग पर कितना नियंत्रण

प्राप्त है, यह आर्थिक सशक्तीकरण का केंद्रीय प्रश्न है। औपचारिक वित्तीय पहुँच सहायक हो सकती है, किंतु वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उनके स्वतंत्र उपयोग में अंतर हो सकता है। घरेलू तथा सामाजिक सत्ता-संबंधों को समझे बिना सशक्तीकरण का मूल्यांकन अधूरा रहेगा।

पाँचवाँ आयाम सामाजिक विविधता है। महिलाओं को एक समरूप समूह मानना विश्लेषणात्मक त्रुटि होगी। आयु, शिक्षा, क्षेत्र, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि और स्थानीय आर्थिक संरचना अवसरों को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रीय औसत महत्त्वपूर्ण दिशा बताता है, लेकिन नीति-निर्माण के लिए विभाजित आँकड़ों की आवश्यकता रहती है। यह अध्ययन इसी कारण राष्ट्रीय प्रवृत्ति को आधार बनाकर विशिष्ट स्थानीय निष्कर्षों का दावा नहीं करता।

9. प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा

अध्ययन का सबसे स्पष्ट परिणाम 2017–18 से 2023–24 तक महिला श्रमबल सहभागिता में निरंतर दर्ज वृद्धि है। यह परिवर्तन महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों की मापी गई उपस्थिति के विस्तार का संकेत देता है। फिर भी वृद्धि के पीछे कार्यरत सभी कारकों को उपलब्ध समेकित आँकड़ों से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः इसे रोजगार अवसरों की एकमात्र वजह अथवा पूर्ण सामाजिक समानता की उपलब्धि मानना उचित नहीं होगा।

दूसरा निष्कर्ष यह है कि महिला–पुरुष सहभागिता अंतर घटने के बावजूद बहुत बड़ा बना हुआ है। 2023–24 में पुरुष LFPR 78.8 प्रतिशत और महिला LFPR 41.7 प्रतिशत थी। यह अंतर बताता है कि आर्थिक अवसरों तक महिलाओं की पहुँच तथा घरेलू और सामाजिक बाधाओं का प्रश्न अभी भी प्रासंगिक है। लिंग अंतर में सुधार और लिंग समानता की प्राप्ति दो अलग स्थितियाँ हैं।

तीसरा निष्कर्ष ग्रामीण–शहरी अंतर की महत्ता है। ग्रामीण महिलाओं की दर्ज सहभागिता में तीव्र वृद्धि हुई है। लेकिन ग्रामीण सहभागिता की प्रकृति समझने के लिए स्व-रोजगार, पारिवारिक सहयोगी कार्य, वेतनभोगी रोजगार और कृषि निर्भरता के अलग-अलग विवरण चाहिए। शहरी क्षेत्र में धीमी वृद्धि को समझने के लिए उपयुक्त नौकरी, सुरक्षित आवागमन और देखभाल व्यवस्था की उपलब्धता पर विशेष शोध अपेक्षित है।

चौथा निष्कर्ष समय उपयोग की असमानता से जुड़ा है। महिलाओं द्वारा अवैतनिक घरेलू तथा देखभाल कार्य में लगाया गया अधिक समय उनकी संभावित बाजार सहभागिता की व्याख्या में प्रासंगिक है। 2019 के आँकड़े यह समस्या दिखाते हैं, लेकिन 2023–24 में उसका सटीक परिमाण निर्धारित नहीं करते। समय उपयोग और श्रमबल सर्वेक्षणों के संयुक्त सूक्ष्म अध्ययन से अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

10. नीतिगत सुझाव

पहला सुझाव रोजगार की संख्या के साथ गुणवत्ता को नीति का केंद्रीय लक्ष्य बनाना है। सरकारी निगरानी में LFPR तथा WPR के साथ नियमित वेतन, वास्तविक आय, कार्य घंटे, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल से संबंधित संकेतकों का उपयोग होना चाहिए। इससे सहभागिता की वृद्धि और वास्तविक आर्थिक सशक्तीकरण के बीच अंतर समझा जा सकेगा।

दूसरा सुझाव सार्वजनिक तथा सामुदायिक देखभाल अवसंरचना का विस्तार है। सुलभ बाल देखभाल केंद्र, वृद्धजन सहायता और कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाएँ महिलाओं की समय संबंधी बाधाओं को कम कर सकती हैं। घरेलू देखभाल को केवल महिलाओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानने के बजाय साझा सामाजिक और आर्थिक दायित्व के रूप में देखना आवश्यक है।

तीसरा सुझाव कौशल विकास को स्थानीय श्रम मांग से जोड़ना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम तभी प्रभावी होंगे जब वे वास्तविक रोजगार, बाजार संपर्क, डिजिटल दक्षता और उद्यम संचालन के अवसरों से संबद्ध हों। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और स्थानीय सेवाओं तथा शहरी क्षेत्रों में विविध सेवा उद्योगों के लिए अलग रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं। चौथा सुझाव सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल शिकायत निवारण, समान अवसर तथा श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देना है। रोजगार की उपलब्धता तभी उपयोगी होगी जब महिलाएँ उसे सुरक्षित और

सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वीकार कर सकें। परिवहन तथा कार्यस्थल सुरक्षा के लिए स्थानीय संस्थाओं और नियोक्ताओं की साझा जवाबदेही आवश्यक है।

पाँचवाँ सुझाव महिला उद्यमिता के लिए ऋण के साथ विपणन, लेखांकन, तकनीकी मार्गदर्शन और डिजिटल बिक्री की सहायता उपलब्ध कराना है। केवल वित्तीय सहायता देने से स्थायी उद्यम स्थापित होना सुनिश्चित नहीं होता। बाजार की माँग, उत्पाद की गुणवत्ता और निरंतर ग्राहक संपर्क पर भी ध्यान देना होगा।

छठा सुझाव आँकड़ों की गुणवत्ता तथा सार्वजनिक उपलब्धता में सुधार है। महिला रोजगार की समझ विकसित करने के लिए राज्यों, शिक्षा समूहों, रोजगार स्थिति और समय उपयोग से संबंधित तुलनीय सूक्ष्म आँकड़े उपयोगी होंगे। नियमित आकलन से यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि कौन-सी नीतियाँ महिलाओं के लिए अधिक उत्पादक और स्वैच्छिक अवसर उत्पन्न करती हैं।

10 क. भावी अनुसंधान की दिशाएँ

महिला श्रमबल सहभागिता के आगामी अध्ययनों में केवल समय-शृंखला की तुलना के स्थान पर व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर के सूक्ष्म आँकड़ों का विश्लेषण उपयोगी होगा। विशेष रूप से उम्र, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, परिवार की आर्थिक स्थिति और निवास क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग समूहों की तुलना की जा सकती है। इससे राष्ट्रीय औसत के भीतर छिपी विविधताओं का अधिक स्पष्ट विवरण मिल सकेगा।

राज्यवार विश्लेषण में स्थानीय उद्योग, कृषि संरचना, शहरीकरण और परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों की तुलना करते समय केवल दरों के अंतर से नीतियों की सफलता निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। अलग सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के कारण एक ही प्रकार की नीति का प्रभाव अलग हो सकता है। विश्वसनीय कारणात्मक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त अनुसंधान अभिकल्प तथा तुलनीय समूह आवश्यक होंगे।

भविष्य के शोध में महिला रोजगार की गुणवत्ता का पृथक सूचकांक विकसित किया जा सकता है जिसमें कार्य घंटे, भुगतान की नियमितता, सामाजिक सुरक्षा, आय पर नियंत्रण और कार्यस्थल की सुरक्षा शामिल हों। इस प्रकार के बहुआयामी सूचकांक से स्पष्ट हो सकता है कि भागीदारी में वृद्धि के साथ कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ी है या नहीं। यह विशेष रूप से स्व-रोजगार और पारिवारिक उद्यमों में काम करने वाली महिलाओं के अध्ययन के लिए उपयोगी होगा।

समय उपयोग के अध्ययन में महिलाओं और पुरुषों के अवैतनिक घरेलू कार्य की तुलना के साथ सवेतन कार्य के घंटों को भी शामिल करना चाहिए। यदि कोई महिला नियमित रोजगार के साथ व्यापक घरेलू जिम्मेदारी निभाती है, तो उसकी कुल कार्य-अवधि तथा स्वास्थ्य पर अलग प्रभाव पड़ सकता है। इन संबंधों को समझने के लिए एक ही परिवार में समय उपयोग, आय और निर्णय क्षमता के आँकड़े संकलित करना उपयोगी रहेगा।

आर्थिक विकास के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण शोध दिशा यह होगी कि महिला श्रमबल सहभागिता की वृद्धि किन क्षेत्रों में अधिक उत्पादक रोजगार में परिवर्तित होती है। कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच स्थानांतरण, कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और छोटे उद्यमों की बाजार पहुँच का विश्लेषण नीति-निर्माण को अधिक सटीक बना सकता है। इस अध्ययन में ऐसे परिणामों का प्रत्यक्ष परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें आगामी अनुसंधान की प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

11. निष्कर्ष: भारत में महिला श्रमबल सहभागिता की 2017–18 से 2023–24 तक की प्रवृत्ति उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। सामान्य स्थिति में महिला LFPR 23.3 प्रतिशत से 41.7 प्रतिशत तथा WPR 22.0 प्रतिशत से 40.3 प्रतिशत तक पहुँचा। ग्रामीण महिलाओं की दर में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई और महिला–पुरुष अंतर में कमी आई। ये परिवर्तन श्रम बाजार में महिलाओं की मापी गई भागीदारी के विस्तार का महत्त्वपूर्ण प्रमाण हैं।

इसके बावजूद लैंगिक समानता की चुनौती समाप्त नहीं हुई है। पुरुषों की तुलना में सहभागिता का बड़ा अंतर, ग्रामीण–शहरी विषमता तथा अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य का असमान वितरण संकेत देते हैं कि आर्थिक सहभागिता को सामाजिक संस्थाओं और घरेलू संरचना से अलग नहीं समझा जा सकता। रोजगार की गुणवत्ता, आय पर नियंत्रण और सुरक्षित कार्यस्थल के बिना सहभागिता में वृद्धि को पूर्ण आर्थिक सशक्तीकरण मानना जल्दबाजी होगी।

समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाओं को केवल श्रमबल का अतिरिक्त स्रोत न मानकर स्वतंत्र आर्थिक निर्णय लेने वाले नागरिक के रूप में देखा जाए। रोजगार सृजन, देखभाल अवसंरचना, कौशल, परिवहन, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण का समन्वित दृष्टिकोण महिला सहभागिता को अधिक सार्थक बना सकता है। भविष्य के अनुसंधान में राज्य-स्तरीय सूक्ष्म आँकड़ों और रोजगार गुणवत्ता का विश्लेषण इस अध्ययन की सीमाओं से आगे बढ़ने का उपयुक्त मार्ग होगा।

संदर्भ सूची :

- भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. (2024). आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS): वार्षिक रिपोर्ट, जुलाई 2023–जून 2024. https://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Press_note_AR_PLFS_2023_24_22092024.pdf
- भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. (2024). Women and Men in India 2024. https://mospi.gov.in/sites/default/files/reports_and_publication/statistical_publication/Women_Men/mw24/Participation_in_economy.pdf
- भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. (2020). Time Use in India—2019 (January–December 2019). https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1660028
- भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय. (2024, 28 नवंबर). Significant increase in women participation in workforce. Press Information Bureau. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2078530
- Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Columbia University Press.
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
- Folbre, N. (2001). The invisible heart: Economics and family values. New Press.
- Klasen, S., & Pieters, J. (2015). What explains the stagnation of female labor force participation in urban India? The World Bank Economic Review, 29(3), 449–478.
- Goldin, C. (1995). The U-shaped female labor force function in economic development and economic history. In T. P. Schultz (Ed.), Investment in women's human capital and economic development (pp. 61–90). University of Chicago Press.

Cite this Article:

कुमार, डॉ. रमेश., "भारत में महिला श्रमबल सहभागिता की बदलती प्रवृत्तियाँ : आर्थिक विकास और लैंगिक असमानता के संदर्भ में अध्ययन". *Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 02, pp.396-405, December 2025. Journal URL: https://shikshasamvad.com/*

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. रमेश कुमार

For publication of research paper title

भारत में महिला श्रमबल सहभागिता की बदलती प्रवृत्तियाँ : आर्थिक विकास और लैंगिक असमानता के संदर्भ में अध्ययन

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-02, Month December 2025, Impact Factor-RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i2.44